न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 79/2018

हनुमानाराम उम्र 70 साल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

बनाम ..... प्रार्थी

1. महेन्द्र उम्र 30 वर्ष पुत्र नथुराम जाति स्वामी निवासी ग्राम बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. चिमनाराम उम्र 50 वर्ष पुत्र सुरजाराम जाति स्वामी निवासी ग्राम बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज0

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह एड.– प्रार्थी

श्री आरीफ खोखर एड.– अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2019

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि ख0 नं. 99 रकबा 1.82है0 वाके ग्राम रोही बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर जिसका प्रार्थी एकमात्र काबिज काश्तकार है। प्रार्थी अपने उक्त खेत ख0नं0 99 में आवागमन करने हेतु एकमात्र प्रचलित रास्ता जो बिरानियां से दिनारपुरा जाने वाले कटाणी रास्ते में ख0 नं0 56/1 में से पश्चिमी हिस्से में से होकर प्रार्थी के खेत ख0नं0 99 में जाता है। उक्त रास्ते से प्रार्थी हमेश से अपने खेत में आता–जाता हैं सलंग्न नजरी नक्शे में उक्त रास्ते को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर । व ठ मार्क से दर्शाया गया है तथा सम्पूर्ण रास्ते को लाल रंग से दर्शित किया गया है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 99 में अपने पशुधन कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, उंटगाड़ी आदि सहित आवागमन करते रहते है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत ख0नं0 99 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता कभी नहीं रहा है और ना ही अब है उक्त एकमात्र रासते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता स्थाई रूप से बंद कर दिये जाने की स्थिति में प्रार्थी के खेत ख0नं0 99 में आवागमन के अभाव में काश्त से महरूम होकर नष्ट व बरबाद हो जायेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी बाद में किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं होगी। जिस कारण उक्त रास्ते की चौड़ाई कम से कम 15 फुट की जानी सर्वधा उचित व आवश्यक तथा न्यायोचित है ताकि प्रार्थी को अपने खेत ख0नं0 99 में आने जाने व कृषि कार्य हेतु साधन ले जाने में कोई परेशानी नहीं हो। शांति बेवाह नथु की मृत्यु हो चुकी है। जिस कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ख0नं0 99 में जाने हेतु ग्राम बिरानियां से ग्राम दीनारपुरा जाने वाले कटाणी रास्ते से ख0नं0 56/1 में पश्चिमी साइड में जाने वाला रास्ता जिसे सलंग्न नजरी नक्शे में मार्क । व ठ तथा सम्पूर्ण रास्ते को लाल सुर्ख रंग से दर्शाया गया है को निर्धारित किया जावे तथा रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

मिसल मूर्तिव की जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2016 को पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2016 को निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि सबंधित भू अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार स्वयं से नवीन मौका रिपोर्ट तलब कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

मिसल मुर्तिव की जाकर तहसीलदार, फतेहपुर को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार फतेहपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2019 प्रेषित कर दर्ज किया है कि प्रार्थी आज तक खसरा नम्बर 56/1 नये ख0नं0 95 में से होकर प्रचलित एवं डॉटेड रास्ते से चलकर ख0नं0 95 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे आते जाते रहे है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता विधमान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार, फतेहपुर की रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई एवं पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष के अभिभाषकगण की सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र में वकुलाय फरीकेन द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये गये।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। प्रस्तुत आवेदन, मौका रिपोर्ट तथा बहस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के नए 15 फीट चौड़े रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। यह केवल सुविधा उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल 15 फीट चौड़े रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को जिस खसरा से रास्ता चाहा गया है उसका विवरण निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

क्र. सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	खातेदार का नाम
	56/1 नये 95	4.29है0	बा.2 4.25 है. गै0मु0 0.04है.	12 फीट	महेन्द्र पुत्र नथूराम शांति पत्नी स्व. नथूराम हि0 1/2 चिमनाराम पुत्र नथूराम हि0 1/2 जाति स्वामी सा. देह

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 02.01.2019 व आंशिक नक्शा ट्रेस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त ख.नं. 56/1 के अन्दर से जो रास्ता चाहा गया है, वह आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ आदि नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (1) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गूना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी दरें निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता एवं अलांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 02.01.2019 एवं सलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायलय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की रशि की गणना नहीं की जावे।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप किया जावेगा। जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि के बराबर होगी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 12 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।
5. प्रार्थीगण को उक्त 12 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 12 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)